

जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 230 वीं बैठक दिनांक 3.09.2015 को सांय 4.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है.-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमति लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
2. श्री एम.एस. रत्नु, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम एव भूमि), जविप्रा, जयपुर
4. श्री नीरज तिवाड़ी, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

1. श्री चन्द्र शेखर पाराशर, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
2. श्रीमति आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
3. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (बीपीसी ले आउट प्लान)
4. श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन-2
5. श्रीमति आभा बेनीवाल उपायुक्त जोन - 5,
6. श्री आर.एल .गुर्जर, उपायुक्त जोन -9
7. श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन- 11
8. श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन -14
9. श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन - 15
10. सहायक नगर नियोजक, जोन-5,15 व मास्टर प्लान

एजेण्डा संख्या:-1

230/3.09.2015

विषय:- बीपीसी (एलपी) की बैठक संख्या 229 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु।

एजेण्डा संख्या 14 के निर्णय में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 21.5.2015 के स्थान पर 21.7.2015 पढ़ा जावें, तथा एजेण्डा संख्या 52 व 53 के संबंध में त्तारी शुद्धिपत्र दिनांक 7.8.2015 से सहमति व्यक्त की गई। समिति द्वारा शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2 (जोन-2)

230/3.09.2015

विषय:- गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मल्हौत्रा नगर अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) द्वारा यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/अ. आ/भूमि/2012/डी-47 दिनांक 15.2.2013 के साथ प्रेषित जांच प्रतिवेदन के परिपेक्ष में प्रकरण की समग्र जांच की जावे। सहकारी समिति से वर्तमान मौका स्थिति तथा उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर द्वारा दिये गये विभिन्न पंच निर्णयों के परिपेक्ष में योजना मानचित्र लिया जाकर नालो से सुरक्षित दूरी (सेफ्टी कोरीडोर) अभियांत्रिकी शाखा से अंकित करवाकर जोन स्तर से जांच कर सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा संख्या:-3 (जोन-5)

230/3.09.2015

विषय:- योजना पिक एनक्लेव में जन सुविधा हेतु आरक्षित भूमि व भूखण्ड संख्या-7 का अन्तिम भू उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारण करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार जन सुविधा हेतु आरक्षित भूखण्ड व भूखण्ड सं. 7 का End Use प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। यह जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना है अतः कार्योत्तर स्वीकृति प्रोजेक्ट एवं वर्क्स कमेटी से भी ले ली जावें।

Om

एजेण्डा संख्या:-4 (जोन-8)

230 / 3.09.2015

विषय:- आवेदक अभिनन्दन लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक मनीष अग्रवाल ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर खसरा नम्बर 240 , 241 , 246 पूर्वानुमोदित क्षेत्रफल 17488.75 वर्गमीटर व प्रस्तावित 1735.36 वर्गमीटर का ग्रुप हाउसिंग हेतु अनुमोदन व पुर्नगठन बाबत ।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि अन्य खातेदार के खसरा संख्या 247 हेतु 9 मीटर चौड़ा आवागमन मार्ग दक्षिण पूर्व की ओर दर्शाते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र लिया जाकर नियमन व पुर्नगठन की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। प्रकरण 1500 वर्गमीटर से अधिक है अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार लेय राशीयां जमा कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-5 (जोन-9)

230 / 3.09.2015

विषय:- शिव शंकर गृ.नि.स.स. की योजना शिव शंकर नगर के भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 277 वर्ग गज, भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 273.26 वर्ग गज, भूखण्ड संख्या 5 क्षेत्रफल 287.38 वर्ग गज, भूखण्ड संख्या 5ए क्षेत्रफल 224.62 वर्ग गज, भूखण्ड संख्या 5बी क्षेत्रफल 214.02 वर्ग गज कुल क्षेत्रफल 1276.28 वर्ग गज के पुर्नगठन बाबत ।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित पुर्नगठन का अनुमोदन किया गया। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.8.2015 को जारी आदेशानुसार 1000 से 2500 वर्गमीटर के भूखण्डों के लिए पार्श्व व पृष्ठ सैटबैक 9 मीटर रखा जावे तथा नियमानुसार राशीयां जमा कर, निस्तारण किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-6 (जोन-13)

230 / 3.09.2015

विषय:- आवेदक मैसर्स यशस्वी रीयल स्क्वेयर प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री सुरेन्द्र भण्डारी द्वारा राजस्व ग्राम हरवर, तहसील आमेर सुविधा क्षेत्र की 1067.15 वर्गमीटर भूमि का योगा एण्ड मेडिटेशन सेन्टर प्रयोजनार्थ एण्ड यूज निर्धारित किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार सुविधा क्षेत्र का उपयोग End Use योग एण्ड मेडिटेशन सेन्टर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

aw

एजेण्डा संख्या:-7 (जोन-14)

230/3.09.2015

विषय:- श्री गोविन्द रियलटेक प्रा. लि. जरिये निदेशक शिवप्रताप हरषाणा व अन्य के द्वारा ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर की कुल रकबा 7.72 हैक्टर भूमि पर आवासीय योजना रॉयल क्रिस्टल ऑगन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक से राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2010 के अनुसार संशोधित मानचित्र लिया जाकर पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-8 (जोन-14)

230/3.09.2015

विषय:- निजी खातेदारी योजना नहारिया का बास के भूखण्ड संख्या-23 के उपविभाजन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार उपविभाजन अनुमोदन का निर्णय लिया गया। प्रकरण में नियमानुसार उपविभाजन शुल्क जमा कर निष्पादन कर दिया जावे।

एजेण्डा संख्या:-9 (जोन-18)

230/3.09.2015

विषय:- योजना सागर एनक्लेव के भूखण्ड सी-17, सी-18 एवं सी-26 में व्यवसायिक पट्टा देने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्डों का भू-उपयोग आवासीय है, अतः व्यवसायिक रूपान्तरण का प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है।

Ch

एजेण्डा संख्या:-10 (जोन-15/ मास्टर प्लान)

230/3.09.2015

विषय:- अजमेर रोड के दक्षिण की तरफ 60 मीटर प्रस्तावित सड़क के अलाईमेंट के संबंध में।

जोन द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचार विमर्श किया गया।

1. निजी खातेदारी योजना ओमेक्स सिटी जिसका पूर्व में अनुमोदन दिनांक 17.04.2008 को हुआ व संशोधित अनुमोदन दिनांक 09.06.2011 को किया जा चुका है, में नये प्रस्तावित 60 मीटर सड़क के अलाईमेंट से कुल भूखण्ड 41, पार्क व निर्मित ग्रिड सब स्टेशन व गुप हाउसिंग हेतु अनुमोदित भूखण्ड प्रभावित हो रहे हैं। मौके पर 2 भूखण्डों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन हैं व एक भूखण्ड पूर्ण रूप से निर्मित है।
2. पूर्व अनुमोदित योजना में निजी खातेदार द्वारा योजना मानचित्र में दर्शित प्राईमरी, नर्सरी, हाई स्कूल, पार्क ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी, रिटेल, कॉमर्शियल व गुप हाउसिंग हेतु दर्शित भूखण्ड एवं फ्यूचर एक्सटेंशन हेतु दर्शित भाग, कुछ भूखण्डों के नम्बरिंग का अनुमोदन अलग-अलग समय पर कराया गया।
3. खातेदार द्वारा उक्त सभी भागों को सम्मिलित करते हुये एकजाई नक्शा अनुमोदन हेतु जोन-15 में प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में विचारधीन है।
4. निजी खातेदार को पूर्व में 60 मीटर सड़क पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव हेतु गठित समिति के समक्ष भी बुलवाया गया था एवं नव प्रस्तावित 60 मीटर के सड़क से प्रभावित भूखण्डों की रिप्लानिंग कर संशोधित मानचित्र दिये जाने हेतु कहा गया था, जिसके लिये निजी खातेदार के प्रतिनिधी द्वारा सहमति भी प्रदान की गई थी।
5. किन्तु खातेदार के प्रतिनिधी द्वारा दिनांक 27.07.2015 को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा पूर्व में अनुमोदित नक्शों का अलाइनमेंट बदलना संभव नहीं हैं, क्योंकि जिन भूखण्डधारियों को जविप्रा द्वारा लीजडीड जारी की गई हैं उनकी भी सहमति लेना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि नव प्रस्तावित अलाईमेंट में कुछ क्षेत्रफल रोड़ में समायोजित हो जाता है एवं कुछ क्षेत्रफल जो रोड़ में समायोजित नहीं हो रहा है जो लगभग 10,000 वर्ग मीटर है, को योजना के फ़ैसिलिटी एरिया में रिप्लानिंग कर समायोजन किया जावे। इस हेतु निजी खातेदार को उतने ही क्षेत्रफल की फ़ैसिलिटी एरिया में शिथिलता दिये जाने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-11 (मास्टर प्लान)

230/3.09.2015

विषय:- अनुमोदित सेक्टर प्लान-66 के मानचित्र में सेक्टर 51, 52 व 53 में आ रहे क्षेत्र में अंकित 60 मीटर चौड़ी सड़क का अंकन सेक्टर 51, 52 व 53 के अनुसार करवाये जाने हेतु।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया कि सेक्टर प्लान में मुहाना रोड़ पर, फागी रोड़ से मुहाना को जाने वाली रोड़ जो सेक्टर 51, 52 व 53 का भाग है, में सहवन से 60 मीटर चौड़ी सड़क अंकित हो गई थी। सेक्टर 51, 52 व 53 में यह सड़क गूलर बाँध की नहर के दोनों ओर 100'-100' दर्शित है। अतः निर्णय लिया गया कि इस रोड़ को सेक्टर 51, 52 व 53 के अनुसार ही सेक्टर 66 के नक्शे में भी नोट (टिप्पणी) अंकित की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या -1 (जोन - 4)

230/3.09.2015

विषय:- न्यू पिकसिटी गृ.नि.स समिति की योजना सिद्धार्थ नगर एच ब्लॉक में स्थित सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज निर्धारित किया जाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार सुविधा क्षेत्र की भूमि का पार्क हेतु उपयोग **End Use** निर्धारण किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या -2 (जोन - 7)

230/3.09.2015

विषय:- नेहरू गृ.नि.स.स. की योजना आम्रपाली नगर के भूखण्ड सं. आई-7 से आई-13 के पुर्नगठन के सम्बन्ध में

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित पुर्नगठन का अनुमोदन किया गया। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.8.2015 को जारी आदेशानुसार 1000 से 2500 वर्गमीटर के भूखण्डों के लिए पार्श्व व पृष्ठ सैटबैक 9 मीटर रखा जावे तथा नियमानुसार राशीयां जमा कर निस्तारण किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या -3 (जोन - 9)

230/3.09.2015

विषय:- योजना सैन्ट्रल स्पाईन के भूखण्ड संख्या सी -238 क्षेत्रफल 324 व.मी भूखण्ड संख्या सी-239 क्षेत्रफल 351 व.मी भूखण्ड संख्या सी-250 क्षेत्रफल 405 व.मी एवं भूखण्ड संख्या सी-251 क्षेत्रफल 324 व.मी कुल क्षेत्रफल 1404.00 वर्ग मीटर (1678.62 वर्गगज) के पुर्नगठन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.8.2015 को जारी आदेशानुसार 1000 से 2500 वर्गमीटर के भूखण्डों के लिए पार्श्व व पृष्ठ सैटबैक 9 मीटर रखा जावे तथा नियमानुसार राशीयां जमा करवाई जावें। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्र का है अतएव राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या - 4 (जोन - 12)

230/3.09.2015

विषय:- सुविधा क्षेत्र की भूमि के एण्ड यूज निर्धारण के सम्बन्ध में , ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर । (प्रकरण एकल पट्टा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड खसरा नं. 194, 196/1123, 196, 190,189,165,193, 192,191, 188, 166, 167, 168, 176,177, 194/1242, 193/1243 क्षेत्रफल 28697.89 वर्गमीटर)

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार सुविधा क्षेत्र का उपयोग End Use योग केन्द्र निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

Ch

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या - 5 (जोन - 12)

230/3.09.2015

विषय:- सुविधा क्षेत्र की भूमि के एण्ड यूज निर्धारण के सम्बन्ध में ,ग्राम ठिकरिया, सांगानेर (प्रकरण होटल भूखण्ड खसरा न. 157,164,156, 166/1088 , 166, 166/1097, 169/1098 , 168, 167 176, 174, 172, 170, 169 क्षेत्रफल 18324.26 वर्गमीटर)

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र का उपयोग End Use योग केन्द्र निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या - 6 (जोन - 11)

230/3.09.2015

विषय:- निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना श्री दादू दयाल सागर में आवासीय भूखण्डों के उप विभाजन के अनुमोदन हेतु

समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का पेट्रोल पम्प भूखण्ड 2020.04 वर्गगज, आवासीय भूखण्ड 500.50, 427.77 व 427.77 वर्गगज, कुल चार भागों का उपविभाजन स्वीकृत किया गया। आवेदक से अपेक्षित उपविभाजन शुल्क जमा करवाया जावे। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्र का है अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर निस्तारण किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा -7

230/03.09.2015 (मास्टर प्लान)

विषय :-प्लानिंग जोन-11 के प्रारूप रोड़ नेटवर्क प्लान बनाये जाने के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् प्लानिंग जोन-11 ए के प्रारूप रोड़ नेटवर्क प्लान के अनुमोदन का निर्णय निम्नानुसार लिया गया ।

1. बिन्दु 'A' में A1-A2-A3-A4 व A2-A5 पर मास्टर विकास योजना-2025 की 30 मीटर सड़क प्रस्तावित है। जो कि ग्राम आबादी क्षेत्र की सड़क है। अतः मास्टर विकास योजना-2025 की प्रश्नगत सड़क की चौड़ाई में संशोधन करते हुये 'A' में A1-A2-A3-A4 व A2-A5 को 30 मीटर के स्थान पर 18 मीटर रखा जावे। A4-A5 पर 30 मीटर चौड़ी सीधी सड़क भी रखी जावे।
2. बिन्दु 'B' में B1-B2-B3 पर मास्टर विकास योजना-2025 की 30 मीटर B2-B4 पर 48 मीटर सड़क प्रस्तावित है। जो कि ग्राम आबादी क्षेत्र की सड़क है।

Am

अतः मास्टर विकास योजना-2025 की प्रश्नगत सड़क B1-B2-B3 व B2-B4 को 18 मीटर किया जावे एवं B1-B4-B3 पर 30 मीटर चौड़ी सीधी लिंक सड़क रखी जावे।

3. बिन्दु सं. 'C' के C1-C2-C3 पर मास्टर विकास योजना-2025 में 30 मीटर सड़क प्रस्तावित है जो कि ग्राम आबादी क्षेत्र पर आ रही है। अतः आबादी क्षेत्र को बचाते हुए उक्त सड़कों को विलोपित कर C1-C3, घुमावदार 30 मीटर चौड़ी लिंक सड़क रखी जावे।
4. बिन्दु सं. 'D' के D1-D2-D3 पर मास्टर विकास योजना-2025 में 30 मीटर की सड़क प्रस्तावित है, जो धानक्या रेल्वे स्टेशन को प्रभावित कर रही है। अतः मास्टर विकास योजना-2025 की प्रश्नगत सड़क D1-D2-D3 30 मीटर सीधी सड़क को विलोपित करते हुये नयी लिंक D1-D4-D5.D2 के अनुसार घुमावदार 30 मीटर चौड़ी लिंक सड़क रखी जावे।
5. क्षेत्र में आ रही उत्तरी रिंग रोड़ की प्लानिंग का कार्य NHAi द्वारा किया जा रहा है। अगर NHAI द्वारा मास्टर विकास योजना-2025 के प्रस्तावित अलाईमेंट से भिन्न अलाईमेंट प्रस्तावित किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में भी मास्टर विकास योजना-2025 की प्रस्तावित उत्तरी रिंग रोड़ को यथावत रखा जावे। इसी प्रकार पूर्व में अनुमोदित प्रारूप रोड़ नेटवर्क प्लान 12, 13, 14, 15 व 16 में मास्टर विकास योजना-2025 की प्रस्तावित रोड़ को यथावत रखा जावे। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि उत्तरी रिंग रोड़ के अलाईमेंट में संशोधन होता है तो वह इस रोड़ नेटवर्क प्लान-11 ए का भाग माना जावेगा।
6. इस क्षेत्र में आ रही एच.टी.लाईन मय क्षमता, ऑयल पाईप लाईन व गैस पाईप लाईन के अलाईमेंट का अंकन प्रमाणीकरण संबधित जोन के अधिशाषी अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता-विद्युत के द्वारा प्राथमिकता के तौर पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की अवधि में किया जाकर मास्टर प्लान शाखा को प्रस्तुत किया जावे।
7. मास्टर विकास योजना-2025 के उपरोक्त आंशिक संशोधनों को प्राप्त आपत्ति/सुझावों के परीक्षण करने के पश्चात् लिये गये अंतिम निर्णय को प्राधिकरण की बैठक से अनुमोदन करवाया जावे।



समिति द्वारा विचार विमर्श ड्राफ्ट रोड़ नेटवर्क प्लान-11 ए पर दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर 30 दिवस की अवधि में जनसाधारण से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।




सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

कमांक :-जविप्रा/सस/बीपीसी - एल पी/2015 /डी-142 दिनांक : 09/9/15

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम /पीआरएन/एल.पी.सी/भूमि) जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन ।
7. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।



वरिष्ठ नगर नियोजक

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)